



2026:AHC:166348

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27231/2026

मुकेश

....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : मनोज कुमार

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार और राज्य की ओर से विद्वान वाद धारक श्री घनश्याम मिश्रा को सुना।
2. यह जमानत याचिका मामले की सुनवाई के दौरान धारा 190, 191(2), 352, 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध संख्या 148/2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
3. हालांकि, आवेदक के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि आवेदक का नाम सह-आरोपी विवेक सहित पांच अन्य लोगों के साथ एफआईआर में दर्ज है, लेकिन एफआईआर में सभी आरोपियों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है।
4. उन्होंने आगे कहा कि जब चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए थे, तब उनके अनुसार सह-आरोपी विवेक ही वह व्यक्ति था जिसने मृतक के सिर पर चोट पहुंचाई थी और मृतक के सिर पर केवल एक ही चोट आई थी।
5. उन्होंने आगे कहा कि मामले के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद भी सह-आरोपी संजय को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 25685/2026 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उसके समान है।
6. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 14.06.2026 से जेल में है।
7. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान वकील द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।
8. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेखों का अध्ययन किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. हालांकि, आरोप के अनुसार, आवेदक और अन्य लोगों ने लकड़ी के डंडे और लोहे की छड़ से हमला किया, जिसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन इससे यह पता चलता है कि सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर में केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है।
10. इसके अलावा, इससे यह भी पता चलता है कि जांच के दौरान जब चश्मदीनों के बयान दर्ज किए गए, तो उन्होंने सह-आरोपी विवेक को सिर में चोट पहुंचाने में विशेष भूमिका निभाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक को सिर में एक चोट लगी थी और इसी चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई।
11. इसके अलावा, एक बहुत ही विस्तृत आदेश के बावजूद सह-आरोपी संजय को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उसके समान ही है।
12. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 14.06.2026 से जेल में है।
13. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
14. इसलिए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।
15. उक्त मामले में आवेदक **मुकेश** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - (i) आवेदक को निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
16. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।
17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

5 अगस्त, 2026

शाहरोज

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।